इकाई – 10 प्रशासनिक सुधार एवं नवाचार

अध्याय–29
प्रशासनिक सुधार
(Administrative Reforms)

प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक दक्षता की पूर्वापेक्षा है। वस्तुतः कोई भी प्रशासन, जड़ता में काम नही करता। प्रशासन को निरन्तर बदलते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में क्रियाशील रहना पडता है। बदलते परिवेश में प्रशासन क्षमतापूर्वक, दक्षता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि चुनौतियों की समुचित प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक सुधार किए जाऐं।

यद्यपि अठारहवीं शताब्दी से ही सुनियोजित प्रशासनिक सुधार प्रारभ हो गए थे, परन्तु ये प्रयास निजी थे। सरकारी क्षेत्र में उन्नीसवीं शताब्दी से प्रशासनिक सुधार हेतु प्रयास किए जाने लगे। प्रारम्भ में प्रशासनिक सुधारों को सकीर्ण अर्थो में सिर्फ संरचनात्मक सुधार तक सीमित माना गया, परन्तु यह प्रकिया अत्यन्त व्यापक है जिसमें संरचना प्रकिया एव व्यवहार तीनो में अपेक्षित परिवर्तन शामिल है।

अर्थ एव परिभाषा : प्रशासन एक सतत् प्रकिया है इस अर्थ में सुधारोन्मुख प्रक्रिया भी है। प्रशासनिक सुधार जानबूझकर एव सुविचारित रुप से की गई प्रकिया है जिसमें प्रशासनिक दक्षता एवं गुणवता में वृद्धि हेतु सुनियोजित परिवर्तन किए जाते है। ताकि वह निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

मौण्टगोमरी के अनुसार – "प्रशासनिक सुधार से तात्पर्य है लोक सेवा के व्यवहार में परिवर्तन लाना।"

लीमेन्स के अनुसार – "प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक मशीनरी में उत्प्रेरित परिवर्तन लाने की प्रकिया है। "

गेराल्ड काइडेन के अनुसार – "सुधार इस सहज विचार पर आधारित है कि मनुष्य को, स्वाभाविक रुप से परिवर्तन हो इसका इंतजार करने की बजाय वैश्विक व्यवस्था में सुधार हेतु इसे कृत्रिम तरीकों से गति देनी चाहिए"।

भारत में प्रशासनिक सुधार के प्रयास :

किसी भी शासन व्यवस्था की प्रशासनिक मशीनरी में सुधार की आवश्यकता को विश्व भर में स्वीकार किया गया है। भारत में भी प्रशासनिक सुधारों का लम्बा इतिहास रहा है। यद्यपि भारत में स्वतंत्रता पूर्व ही प्रशासनिक सुधार प्रारभ हो गए थे, परन्तु ब्रिटिश काल के दौरान प्रशासन का प्रारभिक उद्देश्य साम्राज्यवाद को बढावा देना था अतः सुधारों का मन्तव्य भी यही बना रहा।

स्वतंत्रता के पश्चात् लोककल्याणकारी राज्य के रुप में सरकार के उत्तरदायित्व में आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय भी शामिल हो गया। फलतः प्रशासनिक संस्थाओ के ढाँचे, कार्यशैली प्रकियाओं में व्यापक बदलाव किए गए है। अतः भारत में प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से किए गए प्रयासों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

प्रथम : स्वतंत्रता पूर्व प्रशासनिक सुधार

द्वितीय : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रशासनिक सुधार

इनका सार विवरण निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है :

भारत में प्रशासनिक सुधार

स्वतंत्रता पूर्व सुधार

ऐचिसन आयोग (1886) | इंस्लिगटन (1912) | ली आयोग (1923) | टाटनहम समिति (1946)

उदारीकरण से पूर्व (1991 से पहले)
सचिवालय पुर्नगठन समिति , 1947
मितव्ययता समिति , 1948
एन. गोपालास्वामी आयंगर समिति, 1949
ए. डी. गोरवाला रिपोर्ट, 1951
पॉल एच. एप्लबी प्रतिवेदन, 1953 एवं 1956
कृष्णामाचारी समिति, 1962
के. सन्थानम समिति, 1964
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966
सरकारिया आयोग, 1983

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सुधार

उदारीकरण के पश्चात् (1991 के बाद)
कर सुधार समिति, 1991
पाँचवा वेतन आयोग, 1994
व्यय सुधार आयोग, 2001
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 2006
छठा वेतन आयोग, 2006
सांतवा वेतन आयोग, 2014–15

1. स्वतंत्रता पूर्व प्रशासनिक सुधार :

यद्यपि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की प्रकिया प्राचीन काल से अनवरत चल रही है, तथापि एक व्यवस्थित सुधारों की श्रृंखला ब्रिटिश काल से दिखाई पडती है। ब्रिटिशकाल में ऐचिसन आयोग (1886), इस्लिगटन आयोग (1912), ली आयोग (1923), भारत सरकार सचिवालय प्रकिया समिति (1919), टाटनहम समिति (1945–46) आदि आयोगों एव समितियो की नियुक्ति की गई।

ऐचीसन आयोग ने कि कॉवेनैन्टेड और नॉन कॉवेनैन्टड सेवाओं का अन्तर समाप्त कर सामान्य सेवा को तीन श्रेणियों में विभक्त करने की सलाह दी । (I) भारतीय नागरिक सेवा (II) प्रान्तीय सेवा (III) अधीनस्थ सेवा ।

इंस्लिगटन आयोग 'ने लोक सेवाओ की भर्ती एवं नियुक्ति के भारतीयकरण करने की मांग की।

ली आयोग, उच्च लोक सेवा विषयक शाही आयोग था। आयोग ने लोक सेवाओ के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का सुझााव दिया। द्वितीय विश्वयुद्व के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में युद्धोत्तर पुर्ननिर्माण कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक सुधार हेतु **टाटनहम समिति** का गठन किया किन्तु विभाजन के कारण समिति के प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्यवाही नही हो सकी।

2. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रशासनिक सुधार :

स्वतंत्रता के पश्चात् जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए,प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता तीव्रता से अनुभव की गई। स्वतंत्र भारत में इस दिशा में किए गए प्रमुख प्रयास निम्नलिखित है।

(1) सचिवालय पुनर्गठन समिति अथवा वाजपेयी समिति, 1947: विभाजन के कारण सचिवालय में लोकसेवा के अधिकारियों की कमी की समस्या के समाधान के उपायों पर विचार करने के लिए 1947 में गिरिजा शंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में ''सचिवालय पुनर्गठन समिति'' का गठन किया गया। समिति ने सचिवालय में प्रकियात्मक सुधार एवं उपलब्ध अधिकारियों की सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने के तरीको की सिफारिश की।

(2) मितव्ययता समिति,1948 : चालीस के दशक में बढते हुए असैनिक व्यय को नियंत्रित करने हेतु देश के प्रमुख उद्योगपति कस्तूरभाई लालभाई कि अध्यक्षता में मितव्ययता समिति का गठन किया गया। समिति ने प्रशासन में मितव्ययता लाने एवं अनावश्यक खर्चो को नियंत्रित करने हेतु सुझाव दिए। समिति के सुझाव पर अनेक मंत्रालयों में मितव्ययता समितियॉ गठित की गई।

(3) एन.गोपालास्वामी आंयगर समिति, 1949 : सन् 1949 में भारत सरकार ने तत्कालीन केन्द्रीय मत्री श्री एन.गोपालस्वामी आयगर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। श्री आयगर ने सरकारी तंत्र के पुनर्गठन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए ओ.एण्ड एम. (O & M Units) की स्थापना करने तथा केन्द्रीय मंत्रालयो को चार ब्यूरो में पुनर्गठित करने का सुझाव दिया किन्तु सरकार ने सिफारिशो को स्वीकार नही किया।

(4) ए. डी. गोरवाला रिपोर्ट, 1951 : 1950 में योजना आयोग की स्थापना के पश्चात नियोजित विकास के लिए प्रशासनिक तंत्र की उपयुक्तता की जॉच करने के लिए अवकाश प्राप्त सिविल अधिकारी ए.डी.गोरवाला की अध्यक्षता में 1951 में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए ।

प्रथम : 'लोक प्रशासन पर प्रतिवेदन' जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिए :

(क) ओ. एण्ड एम. इकाई की स्थापना ;
(ख) लोक सेवकों की दक्षता एवं अनुशासन पर बल ;
(ग) मंत्री–लोक सेवकों के मध्य मधुर संबंध आवश्यक ;
(घ) व्हिटले परिषदों की स्थापना ;
(ड) भर्ती पद्वति में सुधार पर बल ;
(च) आई. ए. एस. प्रशिक्षण को व्यवस्थित करने पर ;

द्वितीय : 'सरकारी उद्यमों के दक्ष आचरण' पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लोक उपक्रमें के सफल संचालन संबधी अनेक महत्वपूर्ण सुझााव दिए।

(5) पॉल. एच. एपल्बी प्रतिवेदन, 1953 एवं 1956 : सितबर 1952 में भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधारो पर विचार करने के लिए अमेंरिकी विद्वान पॉल एच. एपल्बी को आमत्रित किया। 1953 में उन्होंने ''भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन'' सरकार को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने विचार व्यक्त किया कि भारत विश्व के लगभग उन 12 राष्ट्रों में से एक है जहाँ का लोक प्रशासन पर्याप्त रुप से संगठित एव विकसित है। इनके सुझाव थे कि :

1. भारतीय संघ में राज्यों को अधिक स्वतत्रता देना उचित नही होगा।
2. भारत में ओ. एण्ड एम. इकाई की स्थापना शीघ्र की जाए।
3. लोक सेवको के समुचित प्रशिक्षण हेतु भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए ।
4. स्टाफ–सूत्र का अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए।
5. भारत की सभी लोक सेवाओं को एकीकृत कर सामान्य सेवा का गठन करना चाहिए ।
6. भारतीय निगम की सरकारी प्रकृति बनी रहनी चाहिए। उन्हें और स्वायत्तता देना ठीक नहीं होगा।

एपल्बी 1956 में पुनः भारत आए एवं **''भारतीय प्रशासन व्यवस्था की पुनः परीक्षा : सरकार के औधोगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के संदर्भ में'** प्रतिवेदन प्रस्तुत किया अपने द्वितीय प्रतिवेदन में उन्होने प्रथम प्रतिवेदन के विपरीत, सार्वजनिक निगमों को अधिक स्वायतता देने की अनुशंसा की तथा नियंत्रक एव महालेखा परीक्षक को अनावश्यक एव दमनकारी संस्था कहा ।

एपल्बी का मुख्य योगदान यह है कि उनकी अनुशंसाओं पर भारत में ''भारतीय लोक प्रशासन संस्थान एव संगठन और प्रबन्ध इकाई (O & M Unit) की स्थापना हुई।

(6) वी.टी. कृश्णामाचारी समिति, 1962 :

1962 में वी.टी. कृष्णमाचारी ने भारत सरकार को भारतीय एव राज्य प्रशासनिक सेवा तथा जिला प्रशासन की

समस्याऐं विषय पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें आई.ए. एस.की सीधी भर्ती की संख्या बढाने, आइ.ए.एस का राज्य प्रशिक्षण ग्रहण बनाने तथा आई.ए.एस के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया।

(7) के. संथानम समिति, 1964 :

सन् 1962 में भारत सरकार ने भ्रष्टाचार की समस्या के लिए विद्यमान तंत्र की समीक्षा एवं जांच हेतु के. संथानम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया 1 मार्च 1964 में समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि भ्रष्ठाचार उस समय समाप्त हो सकता है जब कोई खत्म करने के लिए तैयार हो तथा उसमें इस कार्य के लिए क्षमता हो। समिति द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दिए गए सुझावों में से महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार है :

1. केंद्र सरकार में एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्थापित किया जाना चाहिए । यह आयोग अपने कार्यो के लिए सरकारी निंयत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए ।
2. मंत्रियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित करनी चाहिए, जिस पर जनता को विश्वास हो ।
3. सरकारी अधिकारियों के लिए समुचित आवास एवं पर्याप्त वेतन की व्यवस्था हो ताकि वे रिश्वत के लोभ से बच सकें ।
4. संविधान की धारा 311 का संशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी कार्यवाही शीघ्रता पूर्वक की जा सके ।
5. समाज में ऐसे परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारी को न केवल नौकरी चले जाने का डर हो, बल्कि सामाजिक बहिष्कार का भी भय हो ।

(8) प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 :

1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संसद में कहा था –''यद्यपि विभिन्न अध्ययन दल कार्य कर रहे हैं, किन्तु में प्रायः यह अनुभव करता रहा हूँ कि ये सामान्य प्रयास स्थिति का मुकाबला नही कर सकेगें। मेरा मत है कि इस विषय पर विचार करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग होना चाहिए। यह प्रशासन के समग्र रुप में व्याप्त होगा।''

इस आवश्यकता की क्रियान्वित में लोकसभा द्वरा 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई। 1967 में मोरारजी देसाई के उप–प्रधानमंत्री बन जाने पर के. हनुमन्तैया आयोग के अध्यक्ष बने।

आयोग ने सौपे गए उत्तरदायित्वों को पूरा करने की दृष्टि से 20 अध्ययन दल एवं 13 कार्यकारी समूह की स्थापना की जिसमें लगभग विविध क्षेत्रों के 210 प्रभावशाली व्यक्तियों ने कार्य किया। आयोग ने लगभग 580 अनुशंसाऐं सरकार को प्रस्तुत की। आयोग ने कुल 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। आयोग ने अपना प्रथम प्रतिवेदन ''जन अभियोग निराकरण की समस्या'' पर 1966 में एवं अन्तिम (बीसवाँ) प्रतिवेदन ''वैज्ञानिक विभाग'' के नाम से 1970 में किया। आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों का विवरण निम्नानुसार है :

प्रतिवेदन का नाम	वर्ष
1. जन अभियोग निराकरण की समस्या	20.10.1966
2. नियोजन तंत्र का आंतरिक प्रतिवेदन	29.06.1967
3. लोक उपक्रम	17.10.1967
4. वित्त, लेखा एवं लेखा परीक्षण	13.01.1968
5. नियोजन की व्यवस्था	14.03.1968
6. आर्थिक प्रशासन	20.07.1968
7. भारत सरकार का प्रशासन एवं कार्यप्रणाली	16.09.1968
8. जीवन बीमा प्रशासन	10.12.1968
9. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन	06.01.1969
10. कार्मिक प्रशासन	18.04.1968
11. वित्तीय तथा प्रशासकीय शक्तियों का हस्तान्तरण	12.06.1969
12. केन्द्र–राज्य संबध	19.06.1969
13. राज्य प्रशासन	04.11.1969
14. संघीय क्षेत्र तथा नेफा का प्रशासन	28.11.1969
15. लघु क्षेत्र	23.12.1969
16. रेलवे प्रशासन	30.01.1970
17. राजकोष	27.02.1970
18. भारतीय रिजर्व बैंक	11.03.1970
19. डाक तार	15.04.1970
20. वैज्ञानिक विभाग	30.06.1970

आयोग की प्रमुख अनुशंसाऐं इस प्रकार है

1. भारत सरकार के प्रशासन तंत्र के संबध में आयोग की मान्यता थी कि केन्द्रीय मंत्रीपरिषद् में 45 सदस्य तक हो जिनमें प्रधानमंत्री सहित 16 केबीनेट स्तरीय मंत्री हो। मंत्रीपरिषद का निम्नतम पद **''संसदीय सचिव''** समाप्त किया जाए , साथ ही प्रधानमंत्री स्वयं के पास कोई मंत्रालय या विभाग न रखे।
2. नियोजन तंत्र के बारे में आयोग की यह दृढ मान्यता थी कि प्रधानमंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष न रहकर केवल उससे निकट का संपर्क बनाए रखना चाहिए। अन्य मंत्रियो को भी योजना आयोग का सदस्य न रखा जाए। आयोग में अधिक से अधिक सदस्य पूर्णकालिक हो जो योग्यता, अनुभव एव विशेषज्ञता के आधार पर नियुक्त किए जाए।
3. केन्द्र–राज्य संबधों के विषय में आयोग का मत था कि संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत् एक अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो।
4. राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में आयोग ने कहा कि राज्यपाल उस व्यक्ति को बनाया जाए जिन्हें प्रशासन एवं सार्वजनिक जीवन का दीर्घ अनुभव हो तथा जिसकी छवि सुधरी हो एवं उनकी पुनर्नियुक्ति न हो।
5. आयोग ने अनुशंसा की कि विकास कार्यो से संबधित विभागों को निष्पादन बजट अपनाना चाहिए तथा वित्त वर्ष की शुरुआत 1 नवबंर से हो।
6. कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी अनुशंसाओं में आयोग ने कहा कि आई.ए.एस में भर्ती की आयु सीमा 28 वर्ष हो तथा दो अवसर प्रदान किए जाऐ। कार्यात्मक लोक सेवाओं का गठन किया जाए और इस आधार पर आठ अखिल भारतीय सेवाओं के

गठन की सिफारिश की ।

7. जन अभियोग निराकरण तंत्र के विकास हेतु केन्द्र एव राज्यों में मंत्रियो एव सचिव स्तर के लोक सेवको के विरुद्ध लोक शिकायतों की जाँच के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा केन्द्र एवं राज्य स्तर के सचिव स्तर से नीचे के अधिकारियो के लिए एक–एक लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए।

1975 के आरभ में प्रधानमंत्री के लिए दो अनुभवी प्रशासकों एल.पी. सिह और एल. के. झा ने प्रशासन की दक्षता में सुधार हेतु 20 सूत्री प्रशासनिक योजना तैयार की जिसमें निम्नलिखित पक्ष शामिल थे :

अ. काम की दशाओं और कार्यालय के वातावरण में सुधार।

ब. समय पाबदी और अनुशासन लागू करने की आवश्यकता ।

स. विकेन्द्रीकरण।

द. प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की आवश्यकता ।

(9)सरकारिया आयोग, 1983 :

केन्द्र–राज्य संबधों के विवादित पक्षों के गहन अध्ययन और उनमें सुधार हेतु सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने एक तीन सदस्यीय आयोग का गठन मार्च 1983 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया। सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन 2 नवंबर 1987 को सौपा जिसकी प्रमुख अनुशसाऐं इस प्रकार थी :

1. देश की एकता एवं अखण्डता के लिए मजबूत केन्द्र अनिवार्य है।
2. संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रुप में होना चाहिए।
3. इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सहकारिता और उद्योग के लिए नई अखिल भारतीय सेवा का गठन होना चाहिए।
4. राष्ट्रीय विकास परिषद् को और अधिक प्रभावी बनाया जाए एव इसका पुर्नगठन कर इसका नाम ''राष्ट्रीय आर्थिक एव विकास परिषद्'' कर दिया जाए।
5. संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत् अर्न्तराज्यीय परिषद की स्थापना की जाए।
6. समवर्ती सूची पर कानून बनाते समय केन्द्र सरकार को राज्यो से परामर्श करना चाहिए।
7. राज्यपाल राजनीतिक रुप से तटस्थ एव इस राज्य का नहीं होना चाहिए।

उदारीकरण के पश्चात् (नब्बे के दशक से) प्रशासनिक सुधार :

1990 के दशक में नई आर्थिक नीति अपनाने के साथ ही प्रशासनिक सुधार का नया दौर प्रारभ हुआ। जहाँ आर्थिक विकास के लिए पूर्व में स्थापित केन्द्रीकृत ढाँचे को समाप्त करने का प्रयास हुआ। वही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जे ने राजनीतिक एव प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की मांग उत्पन्न की। ऐसे में सरकार को पुर्नपरिभाषित करने का प्रयास आरंभ हुआ, जिसने लोक प्रशासन को नई भूमिका अपनाने को विवश किया है।

1991 में भारत सरकार ने एक **कर सुधार समिति** गठित की जिसके अध्यक्ष डा. राजा जे. चैलेया थे। यद्यपि यह समिति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के परीक्षण के लिए बनाई गई थी, तथापि इस समिति ने प्रशासन का स्तर ऊँचा करने की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि कुशल एवं सत्यनिष्ठ कर्मचारियों के बिना कोई भी कर सुधार लागू नही हो सकता है।

1994 में पाँचवें वेतन आयोग जो पांडियन की अध्यक्षता में बना था, ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।यह पहली बार था कि एक वेतन आयोग ने एक प्रशासनिक सुधार आयोग की तरह कार्य किया । आयोग ने वेतन को प्रशासनिक दक्षता से सम्बद्व करने की कि आवश्यकता पर बल दिया और नव लोक प्रबधन की पद्धति से प्रशासनिक सुधार करने की जरुरत बताई। आयोग ने अपने प्रतिवेदन के 172 अध्यायों में से 33 अध्याय प्रशासनिक सुधार पर लिखे और न्यूनतम सरकार की अवधारणा पर बल देते हुए केन्द्रीय मंत्रालयो और विभागो की संख्या को जबदस्त रुप से कम करने की आवश्यकता बताई। इसकी मुख्य अनुशंसाएँ निम्नलिखित थी :

1. राज्य को वे आधारभूत कार्य करने चाहिए जो बाजार द्वारा निष्पादित नही हो सकते।
2 आयोग ने प्रस्तावित किया कि 40 लाख कार्मिकों के पद एक साथ समाप्त कर देने चाहिए और अगले दस वर्षो में 30 प्रतिशत कार्मिक कम किए जाने की सिफारिश की ।
3 शासकीय गुप्त अधिनियम के स्थान पर सूचना का अधिकार लागू किया जाए।
4 भ्रष्टाचार निवारक अभिकरण की स्थापना की जाए।
5 प्रशसन को नागरिक मित्र और पारदर्शी बनाया जाए।
6 प्रशासन में विशेषज्ञों एवं संविदा आधारित नियुक्तियों की आवश्यकता पर बल दिया ।
7 वर्तमान अवकाश प्रणाली को समाप्त कर तीन राष्ट्रीय अवकाश एवं 12 आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था लागू की जाए।

वित्त मंत्रालय से सम्बद्व रहे पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के.पी.गीताकृष्णन की अध्यक्षता में फरवरी 2001 में **व्यय सुधार आयोग** गठित किया गया। आयोग ने प्रशासन के सीमित आकार को केन्द्र बिन्दु मानकर गैर विकासात्मक व्यय को नियंत्रित करने हेतु सुझाव दिया। केन्द्र सरकार के 36 मंत्रालयों के 24326 पद अनुपयोगी मानते हुए उन्हें खत्म करने की अनुशंसा की ।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005–09) :

नब्बे के दशक में, नई आर्थिक नीति एवं नव लोक प्रबन्ध की अवधारणा से प्रशासन में समग्रता से सुधारों को मांग उठने लगी। इसीलिए सरकार ने अगस्त 2005 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया । 13 मई 2009 को इस आयोग का कार्यकाल समाप्त हुआ।इस आयोग ने निम्नाकित 15 प्रतिवेदन भारत सरकार को सौपे।

प्रतिवेदन का नाम	वर्ष
1. सूचना का अधिकार	जून 2006
2. मानव संपदा का व्यापक विस्तार	जुलाई 2006
3. संकट प्रबंधन	सितंबर 2006
4. शासन में नैतिकता	फरवरी 2007
5 लोक व्यवस्था	जून 2007
6 स्थानीय अधिशासन	अक्टूबर 2007
7 संघर्ष समाधान हेतु क्षमता निर्माण	फरवरी 2008
8 आतंकवाद से लडाई	जून 2008
9 सामाजिक पूंजी	अगस्त 2008
10 कार्मिक प्रशासन की स्वच्छता	नवंबर 2008
11 ई–गवर्नेंस	दिसबर 2008
12 नागरिक–केन्दित प्रशासन	फरवरी 2009
13 भारत सरकार की संगटनात्मक संरचना	अप्रेल 2009
14 वित्तीय प्रबंधन	अप्रेल 2009
15 राज्य और जिला प्रशासन	अप्रेल 2009

आयोग की प्रमुख अनुशंसाएँ निम्नानुसार है :

1. भारत सरकार को लोक प्रशासन/प्रबंधन के स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना करनी चाहिए।
2. प्रत्येक सरकारी सेवक को प्रारंभिक स्तर पर अनिवार्य और उसकी सेवावधि के दौरान समय–समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए।
3. सरकारी सेवक की उसके पूरे कार्यकाल में दो बार (14 एवं 20 वर्ष बाद) गहन समीक्षा की जानी चाहिए।
4. एक नया सिविल सेवा विधेयक लाना चाहिए जिसमें केन्द्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए।
5. गैर लाभ वाले कार्यकलापों में लगे बाह्य संगठनों में सरकारी सेवकों को प्रतिनियुक्ति पर जाने की छूट देनी चाहिए।
6. सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण देने वाले अनुच्छेद 310 एवं 311 समाप्त कर देना चाहिए।
7 जन अभियोग निराकरण हेतु एक राष्ट्रीय लोकायुक्त नामक संस्था को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। प्रधानमंत्री का पद उसके कार्यक्षेत्र से बाहर हो । संवैधानिक रुप से राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना अनिवार्य की जानी चाहिए।

छठा वेतन आयोग, 2006 :

छठे वेतन आयोग की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2006 में न्यायामूर्ति बी.एन.श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन मार्च 2008 में प्रस्तुत किया। आयोग के सुझाव उदारीकरण की नीतियों को सख्ती से लागू करने की मंशा के अनुरुप थे। आयोग ने चतुर्थ श्रेणी (डी श्रैणी) के पदों को समाप्त कर, मौजूदा श्रेणी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सी श्रेणी में पदोन्नत करने की अनुशंसा की, साथ ही स्वैच्छिक, सेवानिवृत्ति को और आकर्षक बनाने, कार्य निष्पादन पर बल देने तथा विशेषज्ञता को महत्व देने पर बल दिया ।

सातवां वेतन आयोग, 2014 :

भारत सरकार ने 28 फरवरी 2014 को न्यायमूर्ती अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया। आयोग ने 19 नवम्बर 2015 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने न्यूनतम वेतन 18000/– रूपये प्रतिमाह किये जाने की अनुशंसा की तथा एक नये वेतन मैट्रिक्स के आधार पर वेतन की गणना का सुझाव दिया। आयोग ने परिवर्धित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (Modified Assured Carrier Progression) को और अधिक निष्पत्ति उन्मुख बनाया तथा सुनिश्चित कैरियर प्रगति हेतु निर्धारित बैंचमार्क को ''अच्छा'' (Good) से बढ़ा कर ''बहुत अच्छा'' (Veary Good) करने का सुझाव दिया। आयोग ने ग्रेच्युटी की राशि को 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख करने तथा विकलांगता की स्थिति में दी जाने वाली एक मुश्त प्रतिपूर्ति की राशि 9 लाख से बढ़ा कर 20 लाख रूपये करने का सुझाव दिया।

राजस्थान में प्रशासनिक सुधार

प्रशासन का मुख्य उद्देश्य मानव समाज का समग्र विकास करना है जिसमें सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सभी पक्ष शामिल है प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य इस हेतु प्रशासन को सक्षम बनाने से है। अर्थात् प्रशासनिक संगठन एव व्यवहार में ऐसे परिवर्तन एव नवाचार लाने से है जो प्रशासन को अपने उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु अधिक प्रभावी बना सकें।

राजस्थान परम्परागत रुप से सामन्तवादी राज्य रहा है इसलिए यहाँ स्वतंत्रता के पश्चात् प्रशासनिक सुधारों के समक्ष प्रमुख चुनौती संगठनात्मक कम एव व्यवहारात्मक अधिक थी। क्योंकि प्रशासन का भी लोकतंत्रिक मूल्यों के प्रति झुकाव कम था।

1963 में राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार समिति की गठन श्री हरीश चन्द माथुर की अध्यक्षता में किया। समिति ने प्रशासन में समग्र सुधारों हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। जिसमें से प्रमुख सुझाव निम्नलिखित प्रकार से है :

1. मंत्रीमडल छोटा एव सघन होना चाहिए ।
2. समिति ने प्रशासन में मानवीय तत्व पर अत्यधिक बल दिया । आयोग के अनुसार मानवीय तत्व की गुणवत्ता एव उसका प्रबन्ध, प्रशासन पर गहरा प्रभाव रखता है। इसलिए इस पर अधिक ध्यान देने की जरुरत है।
3. समिति ने सुझाव दिया कि मंत्री को नीति निर्धारण करना चाहिए एव नीति लागू करने का दायित्व पूरी तरह से लोक सेवको को सौप देना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
4. समिति ने जन शिकायत निवारण हेतु सुझाव दिया कि सरकार की कार्यकारी शक्तियों के विरुद्व जनता की वैध शिकायतों हेतु राज्य में लोकपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए।
5. विशेषज्ञता पर बल देते हुए समिति ने सुझाव दिया कि

तकनीकी कार्यक्रमों में सरकार को सलाह हेतु विशेषज्ञो को अंशकालिक सलाहकार के रुप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

6. समिति का मानना था कि सचिवालय को केवल उन्ही मामले पर ध्यान देना चाहिए जो पर्याप्त महत्व के है या फिर नीतियों से सम्बन्धित है।
7. सचिवालय की संरचना इस प्रकार परिवर्तित की जाए कि निर्णय लेने में अधिकारियों की संख्या बढें।
8. जिलाधीश एव अन्य अधिकारियों की राय पर सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। साथ ही जिलाधीश जब चाहे, उसे विभिन्न विभागों से व्यावसायिक सलाह मिलनी चाहिए।
9. जिला स्तर पर प्रशासनिक समस्याओ एव जनता की कठिनाईयो को नजर में लाने हेतु प्रतिनिधिक समिति गठित की जानी चाहिए। समिति जिला स्तर पर सरकारी विभागों की कार्यशैली में सुधार हेतु संभव तरीको पर सुझाव दे।
10. एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि सामान्य सेवाओ में भर्ती विधार्थी द्वारा उत्तर मैट्रिक में उत्तीर्ण होने पर कर लेनी चाहिए एवं चयनित विद्यार्थियो को राज्य द्वारा चलाए जाने वाले विशेष संस्थान में आवश्यक डिग्री, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। तीन साल के सफलतापूर्वक डिग्री कोर्स करने के बाद उसे योग्यता के अनुसार सरकार में भर्ती दी जाए।
11. इसके अतिरिक्त समिति ने स्थानीय स्वशासन, लोक संबंध, तकनीकी दक्षता, वित्तीय मुद्दों, प्रशासनिक प्रकिया एवं रेवन्यू बोर्ड पर भी प्रतिवेदन दिया। यद्यपि समिति ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए परन्तु उसको लागू करने में राज्य सरकार ने कोई विशेष रुचि नही दिखाई।

11 मई 1999 को राजस्थान सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया।

आयोग को प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न पहलूओं यथा–प्रशासन में ईमानदारी, कार्यकुशलता, मितत्वयता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, नियमों एवं प्रणालियों का सरलीकरण तथा जन अभियोग निराकरण आदि पर अपनी अनुशंसाऐं प्रस्तुत करने का दायित्व सौपा गया। आयोग ने निम्नलिखित विषयो पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए :

1. राजस्व प्रशासन
2. शहरी कर
3. स्थानान्तरण नीति
4. जन शिकायतो का निवारण
5. उर्जा क्षेत्र सुधार
6. राजस्थान में पंचायती राज
7. पुलिस प्रशासन

आयोग द्वारा इन विभिन्न प्रतिवेदनो में प्रस्तुत मुख्य सुझाव निम्नलिखित प्रकार से है :

आयोग ने राजस्व प्रशासन का नीचे के पद पटवारी से लेकर राजस्व बोर्ड तक अनेक सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत किए जो इस प्रकार है।

1. प्राचीन एवं अधिक आलोचनात्मक पद पटवारी का पदनाम ''लेखपाल'' में परिवर्तित किया जाना चाहिए। ताकि पटवारी एवं किसानों के दिमाग पर वांछित मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आ सके।
2. पंचायत एव पटवार सर्किल के सह सीमावर्ती बनाया जाए साथ ही तहसील एव पंचायत समिति को भी सह–सीमावती बनाए जाने की जरुरत है।
3. तहसील से लोगो की अधिक नजदीकी को देखते हुए वहा लोक मित्र एव उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार पर अधिक बल देने की जरुरत है। उप खंड अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर को वहा निरीक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
4. उप–तहसील की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। उन्हे विकेन्द्रित प्रशासन का प्रभावी उपकरण बनाने हेतु उन्हे और शक्तिया एव कार्य सौपे जाने चाहिए।
5. आई. ए. एस. अधिकारी को कलक्टर बनाने से पूर्व वह कम से कम 9 साल का सेवाकाल पूरा कर चुका हो यदि पदोन्नत आई.ए.एस हो तो कम से कम 12 वर्ष की सेवा आई. ए. एस. के रुप में पूरी कर चुका हो तो कलेक्टर लगाया जाए।
6. जिल परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तो कलक्टर के समान आई.ए.एस. हो या फिर उससे वरिष्ठ आई ए.एस जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) का विलय जिला परिषद के साथ कर दिया जाना चाहिए।
7. आयोग के अनुसार वर्तमान व्यवस्था जिसमें प्रशासनिक अधिकारी (कलैक्टर , उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार आदि) राजस्व न्यायालय का भी कार्य देखते है, बनी रहनी चाहिए। एक पृथक राजस्थान राजस्व न्यायिक सेवा आवश्यक नहीं है।
8. स्थानान्तरण पर आयोग का सुझाव था कि सभी राज्य कर्मचारियों पर एक समान और सामान्य नीति लागू की जानी चाहिए।
9. स्थानान्तरण काल 1 अप्रेल और 31 मई के भीतर, अपवाद को छोड़कर, सभी स्थानान्तरण आदेश निकल जाने चाहिए । पदस्थापन का निम्नतम समय 3 वर्ष निश्चित कर दिया जाना चाहिए। जब तक की किसी की गभीर शिकायत न हो।
10. आयोग ने जन शिकायत निवारण के लिए राजस्थान में उपस्थित संस्थाओं को अप्रभावी बताया। आयोग ने तुरन्त सूचना का अधिकार लागू करने, प्रत्येक विभाग के सिटीजन चार्टर का निर्माण करके प्रकाशित करने एव उस हेतु जनता को जागरुक करने पर बल दिया ।

विभिन्न समितियों एवं आयोगों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर सरकार द्वारा प्रशासन में अनेक नवाचार के प्रयास किए गए है जो निम्न है :

1. संगठन तथा प्रबंध विभाग की स्थापना :

1955 में सचिवलय में एक ओ. एण्ड एम. संभाग की स्थापना की गई यह विभाग प्रशासनिक प्रकिया का अध्ययन कर अनावश्यक क्रियाओं को हटा कर कार्य प्रकिया में तेजी लाने को लक्षित करता है।

2. राजस्थान राज्य अन्वेशण ब्यूरो की स्थापना :

राज्य सरकार ने एक पृथक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की स्थापना की है। जिसे राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो कहते है। राज्य के गृह विभाग के अधीन ब्यूरो में एक पुलिस महानिदेशक, चार पुलिस अधीक्षक, छः अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यरत है। ब्यूरो अपने कार्यकरण में स्वतंत्रता प्राप्त है। ब्यूरों का महानिदेशक अपना प्रतिवेदन राज्य के गृहमंत्री की

अपेक्षा सीधे ही मुख्यमंत्री को सौपते है ।

3. संभागीय आयुक्त की नियुक्ति :

वर्तमान में राज्य को संभागों में विभजित कर वहाँ सभागीय आयुक्तों की नियुक्त की जाती है। संभागीय आयुक्त, संभाग स्तर पर सर्वोच्च शक्ति संपन्न अधिकारी है, जो संबधित जिलो में नियंत्रक, समन्वयक अैर मार्गदशक की भूमिका निभाता है।

4. अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल :

राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियो को प्रशिक्षित करने के लिए 14 नवंबर 1957 को जोधपुर में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। 1963 में इसे जयपुर स्थानान्तरित किया गया। वर्तमान में यह हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के नाम से जाना जाता है जो राज्य प्रशासनिक सेवाओं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं आदि के अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

5. लोकायुक्त : राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति की सिफरिश पर 1973 में पहली बार लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की नियुक्त की गई । जिसका उद्देश्य मंत्रियों अैर लोक सेवकों के विरुद्व भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग करने के आरोप का अन्वेषण करना था। 2014 में इस पद को सशक्त करने के लिए लोढ़ा समिति का गठन किया गया है।

6. पंचायती राज की स्थापना : राजस्थान में दो अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम देश के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात् वर्तमान में 73 तथा 74 वें संविधान संशोधन के उपरान्त स्थानीय स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं की स्थापना की गई है।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आदोलन की शुरुआत ब्यावर (अजमेर) के चांग गेट पर 6 अप्रेल 1995 को मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रणेता अरुणा राय द्वारा की गई। राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून 2000 में लागू कर दिया गया था, किन्तु वर्ष 2005 में जब अखिल भारतीय स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो राजस्थान में भी पुराना अधिनियम निरस्त कर नया लागू कर दिया गया।

8. राजस्थान राज्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

सुशासन की दृष्टि से आम जनता को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों और सेवाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा में सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए 14 नवबर 2011 से'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गाारंटी अधिनियम, 2011 लागू किया गया है।

इस अधिनियम के तहत् 18 विभागों की 153 सेवाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी रुप से उपलब्ध कराने की गाारंटी दी गई तथा इसमें निरन्त अन्य विभागों की सेवाओं को भी जोड़ा जा रहा है। विभागों का कोई अधिकारी या कर्मचारी अधिनियम की परिधि में घोषित सेवाओ को निर्धारित समय सीमा में प्रदान नही करता है तो कम से कम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 5000 रुपये तक के आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। यदि वह सेवा प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब करता है तो प्रतिदिन 250 रुपये (अधिकतम 5000 रुपये) का आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. निजी क्षेत्र में दसवीं शताब्दी में तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उन्नीसवीं शताब्दी में प्रशासनिक सुधार प्रारम्भ हुए ।
2. प्रशासन में संरचनात्मक एव व्यवहारात्मक परिवर्तन लाना ही प्रशासनिक सुधारो का प्रमुख उद्देश्य है ।
3. ब्रिटिश काल में सुधार हेतु मुख्यत : 1. ऐचिसन आयोग 2. इस्लिग्टन आयोग 3. ली आयोग 4. टाटनहम समिति की नियुक्ति की गई।
4. भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सुधारों हेतु गठित समितियाँ/आयोग निम्नलिखित है :
   1. सचिवालय पुनर्गठन समिति (1947)
   2. मितव्ययता समिति (1948)
   3. आयगर समिति (1949)
   4. गोरवाला समिति (1951)
   5. एपल्बी समिति (1953–56)
   6. संथानम समिति (1962)
   7. प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
   8. सरकारिया आयोग (1983)
   9. कर सुधार समिति (1991)
   10. पाँचवा वेतन आयोग (1997)
   11. व्यय सुधार आयोग (2001)
   12. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005–09)
   13. छठा वेतन आयोग (2006–08)
   14. सातवाँ वेतन आयोग (2014–15)
5. भारत में अब तक सात वेतन आयोग गठित हो चुके हैं।
6. राजस्थान में 1954 में प्रशासनिक सुधार आरभ हुए।
7. 1963 में हरीशचन्द माथुर की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार समिति ने प्रशसनिक सुधारों पर व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।
8. 2 अक्टूबर 1959 को प. नेहरु ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया।
9. 28 अगस्त 2000 को श्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी अनुशंसाऐं राज्य सरकार को प्रस्तुत की ।
10. राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार हेतु उठाए गए कदम : (1) संगठन एव प्रबध इकाई की स्थापना (2) लोकायुक्त पद का सृजन (3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (4) लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न :

1. भारत में अब तक गठित वेतन अयोगों की संख्या है–
(अ) 5 (ब) 6 (स) 7 (द) 8
2. एन.गोपालास्वामी आयंगर समिति की स्थापना कब हुई।
(अ) 1950 (ब) 1951
(स) 1949 (द) 1948
3. भ्रष्टाचार रोकने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे ?
(अ) ए.डी.गोरवाला (ब) के.सन्थानम
(स) गोपाला स्वामी आयेगर (द) आर.एस.सरकारिया
4. भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे ?
(अ) के.हनुमनतैया (ब) पी.सी.होता
(स) सतीश चन्द (द) इनमें से केई नही।
5. किस प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की गई कि ''राष्ट्रीय विकास परिषद'' का नाम बदल कर ''राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद्'' कर दिया जाना चाहिए ?
(अ) गोरवाल प्रतिवेदन (ब) सरकारिया प्रतिवेदन
(स) एपल्बी प्रतिवेदन (द) इनमें से कोई नही ।
6. राजस्थान में लोक सेवा गाारंटी अधिनियम कब लागू हुआ ?
(अ) 14 नवम्बर 2010 (ब) 14 नवम्बर 2011
(स) 14 नवम्बर 2009 (द) कोई नही
7. राजस्थान में शिवचरण मथुर की अध्यक्षता में बने प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए–
(अ) राजस्व प्रशासन पर (ब) स्थानान्तरण नीति पर
(स) पुलिस प्रशासन पर (द) उर्पुक्त सभी पर।
8. केन्दीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई ।
(अ) आयंगर समिति (ब) सन्थानम समिति
(स) होता समिति (द) बलवंत राय मेहता समिति
9. संगठन और प्रबन्ध इकाई की स्थापना किसकी अनुशंसा पर हुई है।
(अ) ए.डी.गोरवाला (ब) पॉल एच. एपल्बी
(स) के. संन्थानम (द) इनमें से कोई नही।

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. प्रशासनिक सुधार से आप क्या समझते है ?
2. आयंगर समिति के स्पष्ट करें ।
3. कृष्णामचारी समिति के गठन का क्या उद्देश्य था ?
4. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रथम एवं अंतिम प्रतिवेदन किस विषय से है ?
5. संगठन और प्रबन्ध से आप क्या समझते हैं ?
6. व्यय सुधार आयोग की मुख्य अनुशंसा क्या थी ?
7. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कोई दो अनुशसाऐं लिखे ।
8. लोकायुक्त व्यवस्था क्या है ?
9. सूचना का अधिकार कानून से आप क्या समझते है ?

लघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. संथानम समिति की सिफारिशों को संक्षेप में लिखें।
2. छठे वेतन आयोग को संक्षेप में स्पष्ट करें ।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम को स्पष्ट करें ।
4. राजस्थान के शिवचरण माथुर आयोग की प्रमुख अनुशंसाएँ लिखे।
5. प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रमुख सुझाव क्या थे ?

निबंधात्मक प्रश्न :

1. प्रशासनिक सुधार का अर्थ, महत्व एवं परिभाषा बताईए।
2. भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रशासनिक सुधार की दिशा में किए गए प्रयासो पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
3. प्रशासनिक सुधार आयोग पर संक्षिप्त लेख लिखें ।
4. ''उदारीकरण के पश्चात् प्रशासनिक सुधारों की दिशा परिवर्तन हुई है।'' स्पष्ट कीजिए।

उत्तरमाला:

1. (स)	**2. (स)**	**3. (ब)**
4. (अ)	**5. (ब)**	**6. (ब)**
7. (द)	**8. (ब)**	**9. (ब)**